राजनीतिक सिद्धांत

कक्षा 11 के लिए पाठ्यपुस्तक

11118

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

प्रथम संस्करण
मार्च 2006 फाल्गुन 1927

पुनर्मुद्रण
फ़रवरी 2007 माघ 1928
फ़रवरी 2008 माघ 1929
जनवरी 2009 पौष 1930
जनवरी 2010 पौष 1931
जनवरी 2011 पौष 1932
फ़रवरी 2012 फाल्गुन 1933
अप्रैल 2013 चैत्र 1935
जनवरी 2014 अग्रहायण 1935
फ़रवरी 2015 फाल्गुन 1936
जनवरी 2016 पौष 1937
जनवरी 2017 पौष 1938
दिसंबर 2017 पौष 1939
फ़रवरी 2019 फाल्गुन 1940
जनवरी 2020 पौष 1941

PD 45T RSP

₹ 80.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा सरस्वती आर्ट प्रिंटर्स, ई-25, सेक्टर-4, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली -110 039 द्वारा मुद्रित।

ISBN 81-7450-617-9

एन सी ई आर टी के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016 फोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड
हेली एक्सटेंशन, होस्डेकेरे
बनाशंकरी III इस्टेज
बैंगलूर 560 085 फोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 फोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस
निकट: धनकल बस स्टॉप पनिहटी
कोलकाता 700 114 फोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगांव
गुवाहाटी 781021 फोन : 0361-2674869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : *अनुप कुमार राजपूत*
मुख्य संपादक : *श्वेता उप्पल*
मुख्य उत्पादन अधिकारी : *अरुण चितकारा*
मुख्य व्यापार प्रबंधक : *बिबाष कुमार दास*
संपादक : *मरियम बारा*
उत्पादन सहायक : *प्रकाश वीर सिंह*

आवरण और सज्जा
श्वेता राव

चित्रांकन
राजीव कुमार

कार्टूंस
इरफ़ान खान

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मज़बूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएँगे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और अपने अनुभव पर विचार करने का अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों व स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक ज़िंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितना वार्षिक कैलेण्डर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में विचार-विमर्श और ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता देती है, जिन्हें करने के लिए व्यावहारिक अनुभवों की आवश्यकता होती है।

एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक विकास समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद् सामाजिक विज्ञान सलाहकार समूह के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर हरि वासुदेवन और राजनीति विज्ञान पाठ्यपुस्तक समिति के मुख्य सलाहकार प्रोफ़ेसर सुहास पलशीकर तथा प्रोफ़ेसर योगेंद्र यादव के विशेष आभारी हैं। इस पाठ्यपुस्तक के निर्माण में कई शिक्षकों ने योगदान दिया; इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं।

हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री और सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफ़ेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफ़ेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों व सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्

नयी दिल्ली
20 दिसंबर 2005

भूमिका

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने कक्षा ग्यारह के छात्रों के लिए इस वर्ष राजनीतिक सिद्धांत पर एक पृथक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है। यह बदलाव विद्यालयी पाठ्यचर्या की पुनर्संचना और परिवर्तन की एक बड़ी परियोजना के हिस्से के रूप में सामने आया। पहले छात्र-छात्राएँ राजनीतिक विचार और सिद्धांतों से उदारवाद, मार्क्सवाद या फासीवाद जैसी विचारधाराओं के माध्यम से परिचित होते थे। स्वतंत्रता और समानता जैसी अवधारणाओं की चर्चा अप्रत्यक्ष रूप से और केवल तभी होती थी जब इन विचारधाराओं में उनका ज़िक्र आता था। नए पाठ्यक्रम के केंद्र में विचारधाराओं के स्थान पर अवधारणाएँ हैं। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य कुछ उन विचारों और अवधारणाओं से परिचित करवाना है, जो विश्व की राजनीतिक विचारों की जीवंत परंपरा का हिस्सा है।

इस पुस्तक-रचना में एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें छात्र-छात्रओं को सीखने की प्रक्रिया में ज्ञान के ग्राहक और सृजक दोनों भूमिकाओं में जाँचा और विकसित किया जाना है। इसका उद्देश्य छात्र-छात्राओं को 'राजनीतिक सिद्धांत' करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए यह पुस्तक अपनी दुनिया को समझने के तरीकों की जाँच-पड़ताल करना, उन पर चिंतन-मनन करना तथा दुनिया की वैचारिक समझ बनाने और बढ़ाने के लिए छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षित करना अपना लक्ष्य मानती है। इसलिए हर अध्याय अवधारणा की न्यूनतम और कई बार सामान्य-सी समझ से शुरू होता है, लेकिन यह छात्रों को अवधारणा के विविध आयामों से परिचित करवाने की कोशिश करता है। कोई तर्क देने या वैचारिक स्थिति ग्रहण करने के लिए विचारों की कितनी व्यापक दुनिया मौजूद है, इसका अहसास भी यह पुस्तक देने की कोशिश करती है।

राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने वाले आप सब छात्र-छात्राओं के लिए यह दृष्टिकोण ज़्यादा रुचिकर होगा, ऐसी हमारी आशा है। हम इतना भर नहीं चाहते हैं कि आप सदियों तक विचारकों द्वारा विकसित किए गए विचारों के बारे में सीखें बल्कि हम चाहते हैं कि आप दुनिया को अपने अनुभवों के आधार पर उन विचारों पर प्रतिक्रिया करने में समर्थ हों। जैसा कि आप देखेंगे, इस पुस्तक में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और राष्ट्रवाद जैसी अवधारणाओं को न केवल राजनीतिज्ञ और सरकार वरन् हम सब अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। हम अक्सर ही समानतापूर्वक व्यवहार की अपनी आकांक्षा की, राष्ट्रवाद या शांति की अपनी भावनाओं या ऐसे ही अन्य आदर्शों के बारे में बात करते हैं। जिन अवधारणाओं का अध्ययन हम इस पुस्तक में करेंगे वे हमारे जीवन के अंग हैं। हम अपने निजी जीवन, परिवार, विद्यालय, मित्रों के बीच तथा राजनीतिक बहसों और सार्वजनिक नीतियों पर कोई स्थिति लेते समय इन्हें प्रयोग में लाते हैं।

इसीलिए हमारे अध्ययन का प्रस्थान बिंदु हमारे लिए अपरिचित नहीं है। लेकिन हमें उम्मीद है कि राजनीति सिद्धांत के अध्ययन से आप अपने विचारों की बारीकियों तक पहुँच पाएँगे एवं उन्हें

अधिक स्पष्ट और सटीक तरीके से अभिव्यक्त कर पाएँगे। यदि वर्ष के अंत तक आप अपने विश्वास और विचारों को आलोचनात्मक तरीके से जाँचने लगे और अपनी स्थिति के पक्ष में ज़ोरदार और विवेकपूर्ण तर्क रखने लगे तो हम मानेंगे कि यह प्रयोग सफल हुआ। पृष्ठ के हाशिए पर दी गई टिप्पणियाँ, गतिविधियों के कुछ सुझाव और प्रत्येक अध्याय के अंत में कुछ प्रश्नावली दिए गए हैं। इनसे आपको पता चलेगा कि ये अवधारणाएँ अक्सर भरमाने वाली उस दुनिया को समझने में कितने मददगार हो सकते हैं जिसमें हम रहते हैं। इस प्रकार की नई परियोजनाओं में गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

हालाँकि इस किताब की योजना बनाते समय हमारे दिमाग में छात्रों पर मुख्य ध्यान था, लेकिन हम सीखने की प्रक्रिया में अध्यापक की महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं। हमें उम्मीद है कि यह किताब अध्यापकों को ज्ञान की पोथी नहीं वरन् कक्षा में रचनात्मक माहौल बनाने की शुरुआती प्रेरणा देगी, अध्याय में दी गई गतिविधियाँ और अभ्यास अध्यापकों के लिए ऐसे निर्देश नहीं जिनका पालन उन्हें अनिवार्य रूप से करना ही है। वे इस बात के संकेत हैं कि पूरी किताब और अध्याय में दिए गए विचारों को किस प्रकार प्रयोग में लाया और विकसित किया जा सकता है।

कुछ विचारधारा और विचारकों के राजनीतिक विचारों एवं योगदान की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रत्येक अध्याय में मुख्य पाठ के अलावा कुछ बॉक्स भी जोड़े गए हैं। इनका उद्देश्य भी यही है कि चर्चा को गहरी और समृद्ध बनाया जाए और वह भी छात्रों को यह रटाए बिना कि 'किसने-कब और क्या कहा?' हमें यकीन है कि अध्यापक छात्रों का मूल्यांकन उनके रट लेने और सभी संभव तर्कों को उत्तर-पुस्तिका में लिख डालने की क्षमता के आधार पर नहीं करेंगे। इसके स्थान पर छात्रों का मूल्यांकन किसी दी हुई अवधारणा के विभिन्न पहलुओं और आयामों को स्वयं समझने की क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए। इस तरह का खुला दृष्टिकोण अध्यापक और छात्र दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन अपनी शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी के लिए हमें इसे अपनाना ही चाहिए।

इस छोटी-सी भूमिका में यह बताने की बजाए कि क्या-क्या किया जाना चाहिए, हमने इस किताब को लिखने के अपने अनुभवों को आपके साथ साझा किया है। हम अध्यापकों की ओर से इस पुस्तक पर प्रतिक्रियाओं का स्वागत करेंगे।

पुस्तक का लिखना बहुत सारे लोगों का एक सामूहिक प्रयास रहा और इसमें विभिन्न अवधारणाओं के अर्थ और उन्हें पढ़ाए जाने के तरीकों के बारे में लगातार संवाद होता रहा। हमने एक-दूसरे को सुनने और दूसरों को अपने दृष्टिकोण से सहमत करवाने की ज़रूरत को स्वीकार किया। परिणाम आपके सामने है। हम आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतिक्षा करेंगे।

मुख्य सलाहकार
सुहास पलशीकर
योगेंद्र यादव

सलाहकार
गुरप्रीत महाजन
सारा जोजफ

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

अध्यक्ष

हरि वासुदेवन, *प्रोफ़ेसर*, इतिहास विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता

मुख्य सलाहकार

सुहास पळशीकर, *प्रोफ़ेसर*, राजनीति एवं लोक प्रशासन विभाग, पुणे विश्वविद्यालय, पुणे
योगेंद्र यादव, *सह-निदेशक*, लोकनीति, *सीनियर फेलो*, विकासशील समाज अध्ययन पीठ, दिल्ली

सलाहकार

गुरप्रीत महाजन, *प्रोफ़ेसर*, राजनीति अध्ययन केंद्र, समाज विज्ञान संस्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

सारा जोजेफ, *रीडर*, लेडी श्रीराम कालेज, दिल्ली

सदस्य

अशोक आचार्य, *प्रोफ़ेसर*, राजनीतिशास्त्र विभाग, कला संकाय विस्तार, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

नीरज प्रिया, *लेक्चरर*, एन-16, नवीन शाहदरा, दिल्ली

पीटर डिसूजा, *प्रोफ़ेसर*, सह-निदेशक, लोकनीति, *सीनियर फेलो*, विकासशील समाज अध्ययन पीठ, दिल्ली

भगत ओनम, *एसोशिएट प्रोफ़ेसर*, दर्शनशास्त्र केंद्र, समाज विज्ञान संस्थान, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

मंगेश कुलकर्णी, *रीडर*, राजनीति एवं लोक प्रशासन विभाग, पुणे विश्वविद्यालय, पुणे

मीनाक्षी टंडन, *पी.जी.टी.*, सरदार पटेल विद्यालय, नई दिल्ली

राजीव भार्गव, *प्रोफ़ेसर, सीनियर फेलो*, विकासशील समाज अध्ययन पीठ, दिल्ली

राजेश देव, *लेक्चरर*, वूमेंस कालेज, लाइथुंखराह, शिलांग, मेघालय

रूपा सेन, *प्रधानाध्यापिका*, अजंता पब्लिक स्कूल, गुड़गाँव

लाजवन्ती चटनी, *प्रोफ़ेसर*, एम. एस. बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ोदरा, गुजरात

वसंती श्रीनिवासन, *एसोशिएट प्रोफ़ेसर*, हैदराबाद विश्वविद्यालय, गाची बाउली कैंपस, हैदराबाद

विपुल मुदगल, *संपादक*, हिंदुस्तान टाइम्स स्कूल संस्करण, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, नई दिल्ली

सत्य प्रकाश गौतम, *प्रोफ़ेसर*, दर्शनशास्त्र केंद्र, समाज विज्ञान संस्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

समन्वयक

संजय दुबे, *रीडर*, सविमाशिवि, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली

हिंदी अनुवाद

अमरनाथ, नीलकांत कालोनी, पटना, बिहार

राधा वल्लभ, न्यू पाटलिपुत्र कालोनी, पटना, बिहार

महेंद्र प्रसाद सिन्हा, किदवईपुरी, पटना, बिहार

मेधा, *स्वतंत्रपत्रकार* और *शोधकर्ता*, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

चंदन श्रीवास्तव, *स्वतंत्र अनुवादक* और *शोधकर्ता*, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

पंकज पुष्कर, *सीनियर लेक्चरर*, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी, उत्तरांचल

आभार

हम उन सभी लोगों का धन्यवाद देते हैं जो विभिन्न भूमिकाओं में इस पुस्तक से जुड़े रहे। पुस्तक की योजना बनाने में प्रारंभिक दौर में एक समिति ने अपने सुझाव दिए। इस समिति में अध्यापक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। यद्यपि पुस्तक की तैयारी और उत्पादन में मदद करने वाले सभी लोगों के नाम का उल्लेख करना कठिन है लेकिन हम हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के वसंती श्रीनिवासन और पुणे के मंगेश कुलकर्णी का अध्याय लेखन के अलावा संपादन आदि में अतिरिक्त सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। हम पीटर डिसूज़ा, सत्य प्रकाश गौतम, राजीव भार्गव, भगत ओनम, अशोक आचार्य, निवेदिता मेनन, लाजवन्ती चटनी और जानकी श्रीनिवासन को भी पुस्तक में योगदान देने के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। इनके योगदान ने योजना को प्रारंभिक गति दी। इनके अतिरिक्त बहुत से युवा अध्यापकों और शोधकर्ताओं ने पुस्तक को अंतिम रूप देने में अमूल्य सहायता दी। हम खासतौर से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंकिता पांडे, दिव्या सिंह और नवनीता सिन्हा एवं विकासशील समाज अध्ययन पीठ से श्रीरंजनी एवं आरती सेठी और दिल्ली विश्वविद्यालय से मोहिन्दर सिंह, पापिया सेनगुप्ता और राफिया जामन का धन्यवाद देना चाहेंगे।

इस पुस्तक में प्रयोग किए गए कुछ चित्रों के लिए www.africawithin.com, www.ibiblio.org, www.narmada.org, सरदार सरोवर नर्मदा निगम और नेशनल आर्काइव्स एंड रिकार्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका का धन्यवाद देना चाहेंगे। हम पी. सांइनाथ, श्वेता राव, दीपा जानी और हरिकृष्ण को भी विभिन्न चित्रों के उपयोग करने की अनुमति देने के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे। अपने विभिन्न संकलनों में से अपने कार्टून्स के उपयोग की अनुमति देने के लिए हम आर. के. लक्ष्मण एंव केगल काटूंस एरेस एंव फिश को भी विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे।

पुस्तक का हिंदी संस्करण में लाने के लिए अनुवाद का काम हेंमत भाई की देखरेख में पटना में एक पूरी टीम ने बहुत लगन से किया। उनके प्रति आभार व्यक्त करना आवश्यक है।

हिंदी संस्करण के कॉपी संपादन और भाषा को बोधगम्य बनाने के लिए चंदन एवं मेधा श्रीवास्तव और प्रूफ जाँचने के लिए सैयद अफ़जर अहसन एवं आलोक विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। परिषद् के कॉपी एडिटर सतीश झा और डी.टी.पी. ऑपरेटर अनिल शर्मा ने भी पुस्तक को अंतिम रूप देने में बहुमूल्य योगदान दिया। पुस्तक के हिंदी संस्करण की सज्ज़ा योगेश कुमार समदर्शी द्वारा मनोयोग से की गई है।

वर्तमान संस्करण की समीक्षा और अपडेट करने में एम.वी.एस.वी. प्रसाद, *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर,* पाठ्यचर्या अध्ययन विभाग, एन.सी.ई.आर.टी. का योगदान सराहनीय है।

भारत का संविधान

भाग 4क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य – भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके; और

(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

विषय-सूची

आमुख *iii*

अध्याय 1 1–16
राजनीतिक सिद्धांत – एक परिचय

अध्याय 2 17–30
स्वतंत्रता

अध्याय 3 31–51
समानता

अध्याय 4 52–64
सामाजिक न्याय

अध्याय 5 65–76
अधिकार

अध्याय 6 77–93
नागरिकता

अध्याय 7 94–106
राष्ट्रवाद

अध्याय 8 107–124
धर्मनिरपेक्षता

अध्याय 9 125–137
शांति

अध्याय 10 138–152
विकास

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1][**संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य**] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में**

व्यक्ति की गरिमा और [2][**राष्ट्र की एकता**

और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

---

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।